मानवाधिकार और चिकित्सा सेवा जीवन का आधार एक विवेचन

डॉ.रमा एस. चौहान
वाणिज्य विभाग
भवभूति महाविद्यालय, आमगांव
जि.गोंदिया (महाराष्ट्र)
पिन कोड — ४४१९०२
ई—मेल — drramachauhan@gmail.com

मानवाधिकार के सम्बन्ध में सम्पूर्ण विश्व पर दृष्टिपात इस तथ्य को उद्घाटित करता है कि वर्तमान में मानवाधिकारों के प्रवर्तन की दिशा में मानवाधिकारों का उल्लंघन/हनन एक प्रमुख समस्या हैं । यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि मानवाधिकारों के हनन की प्रतिक्रिया स्वरूप ही समाज में मानवाधिकार संरक्षण की दिशा में चेतना का प्रार्दुभाव हुआ हैं । वर्तमान में मानवाधिकार हनन की विकट समस्या ही मानवाधिकार के अध्ययन एवं अनुसंधान का प्रमुख विषय बन गया हैं । इस संकल्पना का जन्म ही मनुष्य की जन्मजात गरिमा, अस्मिता एवं स्वाधीनता की रक्षा के लिए तथा उसकी बुनियादी आजादी बचाने के लिए हुआ हैं । मूल रूप से मानवाधिकारों को स्वीकार करने से ही मानव सभ्यता का विकास संभव हुआ । वस्तुत: किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिए इन अधिकारों का होना अनिवार्य हैं ।

आधुनिक काल में मानव अधिकारों के लिए संघर्ष इंग्लैंड में १३ वीं शताब्दी से आरम्भ हुआ । १२१५ ई. में प्रसिद्ध मैग्नाकार्टा की घोषणा से ब्रिटिश संसद को राजा पर नियंत्रण का अधिकार मिला । १६८८ ई. की गौरवपूर्ण क्रान्ति एवं १६ दिसम्बर, १६८९ की ब्रिटिश संसद की, 'अधिकार घोषणा' मानवीय अधिकारों की प्राप्ति के संघर्ष में मील का पत्थर हैं । विश्व में मानव अधिकारों की व्यापक गरिमा फ्रांसीसी क्रान्ति (१७८९ ई.) से स्थापित हुई । रूसो के संविदा सिद्धांत से प्रेरित इस क्रान्ति के समय संविधान सभा ने यह घोषणा की कि संविधान निर्मित होने पर सर्वप्रथम 'मानव अधिकारों' का उल्लेख किया जाएगा । इस प्रकार मानव अधिकारों की घोषणा के आधार पर समता, स्वतंत्रता एवं बन्धुता को कानूनी अधिकारों की मान्यता प्राप्त हुई ।"[१]

मानव अधिकारों का जन्म पृथ्वी पर मनुष्य के विकास के साथ ही हुआ, क्योंकि इन अधिकारों के बिना वह न तो गरिमा के साथ जीवन यापन कर सकता था और न सभ्यता तथा संस्कृति का विकास कर सकता था । लेकिन इसके साथ ही मानव—मानव अधिकारों के दमन का सिलसिला भी शुरू हो गया, क्योंकि

शक्तिशाली व्यक्ति या समूह दूसरों का शोषण करके ही अपना वर्चस्व बनाये रख सकते थे । पिछले पॉच हजार सालों में एक तरफ इस वर्चस्व का रूप बदलता रहा है, तो दूसरी तरफ इस बात की भी आवश्यकता महसूस की जाती रही है कि मानव अधिकारों को ठीक—ठीक परिभाषित किया जाये तथा उनकी सुरक्षा के उपाय भी किये जायें । साथ ही मानव समाज की व्यवस्था में जटिलता के नये—नये तत्व लगातार आते जाने से मानव अधिकारों के नये—नये रूप भी सामने आने लगे । २५ सितम्बर १९२६ के पूर्व मानव अधिकारों का मामला मुख्यत: राष्ट्रीय विषय रहा, लेकिन उसके बाद यह एक अन्तर्राष्ट्रीय विषय हो गया और तब से मानव अधिकारों को समझने तथा उनके प्रति विश्व प्रतिबद्धता की घोषणा करने का सिलसिला आज तक जारी है ।

मानव अधिकारों के बारे में व्यवस्थित रूप से सोचने और उन्हें संगठित रूप देने का पहला अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास २५ सितम्बर १९२६ को दासता के विरूद्ध हुए विश्व सम्मेलन के रूप में सामने आया । तकरीबन चार वर्ष बाद २८ जून १९३० को बलात श्रम पर सम्मेलन हुआ । १८ साल के लंबे अंतराल के बाद मानव अधिकारों की पहली सुव्यस्थित घोषणा १० दिसम्बर १९४८ को सामने आयी । संयुक्त राष्ट्रसंघ द्वारा की गयी यह घोषणा “मानव अधिकारों की विश्व घोषणा” कहलाती हैं । फिर तो यह सिलसिला कभी नही रूका । आज स्त्री अधिकार, अल्पसंख्यकों के अधिकार आदि अनेक विषयों पर दुनिया भर में चर्चा हो रही हैं । संयुक्त राष्ट्रसंघ के तत्वावधान में सदस्य राष्ट्रों द्वारा मान्य एवं स्वीकृत मानव अधिकारों की एक संक्षिप्त सूची का उल्लेख किया गया हैं । “मानव अधिकारों की विश्व घोषणा” को छोड़ कर शेष सभी प्रसंविदाओं और सम्मेलनों द्वारा स्वीकृत घोषणा पत्रों के कुछ अंश ही लिये जा सकते हैं ।”[२]

१० दिसम्बर को पूरी दुनिया में मानवाधिकार दिवस मनाया जाता हैं । १० दिसम्बर १९४८ की रात ही संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बिना किसी असहमत के मानवाधिकारों के विश्व घोषणा पत्र को अंगीकृत एवं घोषित किया । मानवाधिकार की अवधारणा इतिहास की लंबी अवधि में विकसित हुई हैं । यह अवधारणा सत्ता के स्वेच्छाचारी इस्तेमाल को रोकने के उपकरण के रूप में विकसित हुई । आरंभ में यह राज्यों के भीतर ही लागू होती थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू करने की व्यवस्था नहीं थी । राज्यों के भीतर भी यह उच्च वर्गो के अधिकारों तक सीमित लगती थी । वर्ग और नस्ल का ख्याल किये बिना सभी मनुष्यों में अधिकारों के रूप में इस अवधारणा के विकसित होने में लंबा समय लगा । १३ वीं सदी का प्रसिद्ध मैग्नाकार्टा राजा और सामंतशाही के बीच का एक समझौता था । हालांकि इसमें कुछ ऐसी धाराएँ भी थी, जो आम लोगों के लिए भी लागू होती थी, पर इसका मकसद ब्रिटेन के सामंतो के अधिकारों एवं विशेषाधिकारों की रक्षा करना था । मानवाधिकारियों की इससे अधिक विस्तृत अवधारणा ब्रिटिश क्रांतिकारियों ने पेश की, जब १६८९ में राजा

को पदच्युत करने तथा उसे मौत के घाट उतारने के बाद बिल ऑफ राइट्स (अधिकार पत्र) में उन्होंने सभी नागरिकों के न्यूनतम अधिकारों का वर्णन किया । लगभग एक सदी बाद १७७६ में अमेरिका क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश राजा की दासता से "अहरणीय" मानवाधिकारों को शामिल किया । इनमें "जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश" के अधिकार शामिल थे । इसके कुछ ही समय उपरांत फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने राजा को हटाने और उसे मौत के घाट उतारने के बाद मनुष्य के अधिकारों का घोषणापत्र तैयार किया । इसमें उन्होंने घोषित किया कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेते और रहते हैं और उनके अधिकार बराबर हैं तथा किसी राजनीतिक संघ का उद्देश्य "स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा और दमन के विरोध" के मानवाधिकारों की पुष्टि हैं । इस प्रकार मानवाधिकारों की अवधारणा हमेशा ही क्रांतिकारी अवधारणा रही हैं ।

मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें आगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्र संघ ने बहुमूल्य कार्य किये । राष्ट्र संघ ने स्त्रियों का व्यापार रोकने, विवाह की उम्र बढ़ाने, विभिन्न देशों में बाल कल्याण को सुनिश्चित करने तथा हजारों शरणार्थियों के पुर्नवास के कदम उठाये । लेकिन मानवाधिकारों को आगे बढ़ाने की दृष्टि से राष्ट्र संघ का मुख्य कार्य अतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के जरिये हुआ । जो लोग दोनों विश्व युद्धों की बीच भारतीय मजदूर आंदोलन से जुड़े थे, वे काम के घंटे सीमित करने, कारखानों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य की स्थितियॉ सुनिश्चित करने, महिलाओं और बच्चों को काम करने की मानवीय स्थितियॉ मुहैया कराने तथा आम तौर पर मजदूरों के बारे में उदास सरकारी नीतियों को आगे बढ़ाने में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बहुमूल्य कार्यो को जानते हैं ।"[३]

भारत में आवश्यक मानवाधिकारों को संविधान के मौलिक अधिकारों एवं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धान्तों वाले हिस्सों में शामिल किया गया हैं । वे अधिकार आज चरम दक्षिण पंथियों के हमले का निशाना हैं । लोकतंत्र समर्थकों और मानवतावादियों के आज भारत में मानवाधिकार दिवस मनाने का सर्वोत्तम तरीका यही है कि वे लोगों को मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों को समझायें और इन पर अमल के लिए समर्थन जुटायें ।

मानव अधिकारों की घोषणा :—

- सभी मानव प्राणी जन्म से ही स्वतंत्र तथा गरिमा और अधिकारों में बराबर हैं । उनमें विचार शक्ति तथा अन्तश्चेतना होती है और उन्हें एक—दूसरे के साथ भाईचारे की भावना से काम करना चाहिए ।
- प्रत्येक व्यक्ति को जीने का, स्वतंत्रता का और व्यक्तिगत सुरक्षा का अधिकार है ।
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों और दायित्वों के निर्धारण में और अपने खिलाफ किसी भी प्रकार के आपराधिक आरोप पर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष

न्यायाधिकरण द्वारा न्यायपूर्ण सार्वजनिक सुनवाई का पूरी तरह समान अधिकार हैं ।

- परिवार समाज की प्राकृतिक और बुनियादी समूह इकाई है और उसे समाज तथा राज्य का संरक्षण पाने का अधिकार हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के समान काम के लिए समान वेतन पाने का अधिकार हैं ।
- प्रत्येक व्यक्ति को, जो काम करता है, उचित और अनुकूल पारिश्रामिक का अधिकार है, जिससे उसका और उसके परिवार का मानवीय गरिमा के साथ जीवन यापन हो सके और अगर आवश्यक पड़े तो इसकी पूर्ती सामाजिक संरक्षण के अन्य माध्यमों द्वारा हो ।
- प्रत्येक व्यक्ति को भोजन, कपड़ा, मकान और चिकित्सा सुविधा तथा आवश्यक सामाजिक सेवाओं सहित स्वयं के और अपने परिवार के स्वास्थ्य तथा कल्याण के लिए पर्याप्त जीवन स्तर का अधिकार हैं । साथ ही उसे बेरोजगारी, बीमारी, विकलांगता, वैधव्य, बुढ़ापे या उसके नियंत्रण से बाहर की किसी अन्य स्थिति में जीविका में बाधा आने पर सुरक्षा पाने का अधिकार हैं ।
- माता—पिता को यह चुनने का प्राथमिक अधिकार होगा कि वे अपने बच्चों को किस तरह की शिक्षा दिलाना चाहते हैं ।
- भूख और कुपोषण की समाप्ति तथा उचित पोषण के अधिकार की गारंटी ।
- गरीबी का उन्मूलन, रहन—सहन स्तर में सतत सुधार का आश्वासन और आय का उचित तथा न्यायपूर्ण वितरण ।
- सम्भव हो, तो बिना किसी शुल्क के संपूर्ण आबादी के लिए स्वास्थ्य के उच्चतम स्तरों की प्राप्ति और स्वास्थ्य संरक्षण का प्रावधान ।
- निरक्षरता का उन्मूलन और संस्कृति तक सभी की पहुॅच । प्राथमिक स्तर पर नि:शुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा और सभी स्तरों पर नि:शुल्क शिक्षा के अधिकार का आश्वासन ।
- सभी के लिए विशेषकर निम्न आय वर्ग के लोगों को बड़े परिवारों के लिए पर्याप्त आवास और सामुदायिक सेवाओं का प्रावधान ।
- पूरी आबादी के लिए नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवाओं और जिन तक सभी की पहुॅच हो सकें, ऐसे रोग निरोधक तथा उपचारात्मक सुविधाओं एवं कल्याण चिकित्सा सेवाओं का पर्याप्त प्रावधान ।”[४]

मानवाधिकार मानवीय चेतना को विकसित करने के लिए वे आवश्यक दशाएॅ हैं, जो प्रत्येक देश व समाज के सदस्य के लिए महज आवश्यकता ही नहीं बल्कि उनकी प्राप्ति स्वयं भी एक अधिकार हैं । किन्तु वर्तमान विश्व पर दृष्टिपात करें तो हमें उनका हनन् ही अधिक दिखाई देता है, ऐसे में मानवाधिकार हनन् के परिप्रेक्ष्य में ही मानवाधिकारों का सही दृष्टिकोण विकसित करने में सहायता मिल सकती है ।

यदि मानवाधिकरों के इतिहास पर दृष्टिपात किया जाय तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि जब–जब मानवाधिकरों का हनन् और मानव का उत्पीड़न हुआ तब–तब मानवाधिकारों के विकास को गति प्राप्त हुई हैं । इसके परिणामस्वरूप वर्तमान समय में मानवाधिकार अध्ययन एवं अनुसंधान का प्रमुख विषय का जन्म ही मनुष्य की जन्मजात गरिमा, अस्मिता और स्वाधीनता की रक्षा के लिए तथा उसकी बुनियाद आजादी बचाने के लिए हुआ हैं । मूल रूप से मानवाधिकारों को स्वीकार करने से ही मानव सभ्यता का जन्म और विकास होना संभव हुआ । अत: किसी व्यक्ति के मानव होने और मानव बने रहने के लिए इन अधिकारों की रक्षा एवं सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक हैं ।"[५]

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है । समाज में रहकर वह अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहता है जब व्यक्ति को अपनी अन्तर्निहित शक्तियों के प्रस्फुटन का समुचित अवसर मिले । इसके अभाव में उसका व्यक्तित्व कुंठित हो जाता है जिससे उसका बहुमुखी विकास नहीं हो पाता । प्रकृति से प्राप्त क्षमताएँ अविकसित रह जाती हैं और उसका जीवन व्यर्थ–सा हो जाता हैं । प्रसिद्ध दार्शनिक ग्रीक ने इसीलिए कहा कि, 'मानवीय चेतना अपने विकास हेतु स्वतंत्रता चाहती है, स्वतंत्रता अधिकारों में निहित है और अधिकार राज्य की मॉग करते हैं ।' दूसरें शब्दों में यह कहा जा सकता है कि राज्य का अस्तित्व ही नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए हैं । वस्तुत: अधिकार मानव जीवन की वे परिस्थितियॉ होती हैं जिनके बिना साधारणतया कोई व्यक्ति अपने उच्चतम स्वरूप की प्राप्ति नहीं कर सकता हैं ।"[६]

मानवाधिकार का आधार रंग, जाति, लिंग, धर्म या अन्य भेदभाव के बिना मानवीय गरिमा और उसकी पूर्ण उपयोगिता के लिए सम्मान की भावना हैं । मानवाधिकार व्यापक रूप में व्यक्ति के ऐसे अधिकार के रूप में समझे जा सकते हैं, जो व्यक्ति के गरिमामयी जीवन के लिए आवश्यक हैं । ये अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के पर्याप्त विकास और खुशहाली के लिए अनिवार्य हैं । मानवाधिकारों की सर्वव्यापी व्यवस्था का उद्देश्य सभी समाजों में व्यक्ति के सम्मानपूर्ण जीवन के लिए परिस्थितियों का पुर्ननिर्माण और पुनरीक्षण करना हैं । साथ ही, जिस भी समाज में राजनीतिक और आर्थिक उत्पीड़न का अस्तित्व है, वहॉ से मानवीय कष्ट को दूर करना और विश्व के सभी हिस्सों में मानव जीवन को समृद्ध और परिष्कृत करना इत्यादि हैं ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- सिंह नचिकेता, मानव अधिकार : विभिन्न अर्थ, तपन बिसवाल (सं), मानवाधिकार, जेण्डर एवं
- पर्यावरण, विवा बुक्स, नई दिल्ली, २००९, पृ. ५७
- श्रीवास्तव सुधारानी, मानव अधिकार और महिला उत्पीड़न, कामनवेल्थ पब्लिशर्स, दरियागंज
- नई दिल्ली, २०१०, पृ. ७९
- उपरोक्त, पृ. ८१
- उपरोक्त, पृ. ८४
- महावर डॉ.सुनील, राज्य एवं महिला मानवाधिकार, पोइन्टर पब्लिशर्स, जयपुर, प्रथम संस्करण,
- २०११, पृ. ३९
- त्रिपाठी प्रदिप, मानवाधिकार और भारतीय संविधान, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली,
- २००२, पृ. १